

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]	दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2017/माघ 17, 1938	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 342
No. 36]	DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2017/MAGHA 17, 1938	[N.C.T.D. No. 342

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 फरवरी, 2017

सं. फा. 19(96)/परि./सचि./2010/19.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल सन्तुष्ट हैं कि जनसुरक्षा की दृष्टि से तथा आम जनता की सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सड़कों / क्षेत्र पर भारी मालवाहन, मझोले माल वाहन तथा हल्के माल वाहनों के आने – जाने को विनियमित करने हेतु अधिसूचना फा. सं. 19 (96)/परि./सचि./2010/228. दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के निषेध समय को अधिसूचना फा. सं. सचिव 10/(164)/परि./98/625 दिनांक 11, फरवरी, 2000 के साथ संलग्न अनुसूची में वाहन की प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लिखित सड़कों पर तथा क्षेत्रों में भारी वाहन, मझोले वाहन तथा हल्के वाहन चलाने तथा खड़े रखने निषिद्ध निम्न रूप में संशोधित किया जाता है ।

सं. न.	दिनांक 11, फरवरी, 2000 की अधिसूचना, का परिशिष्ट संख्या	परिशिष्ट में सड़कों / क्षेत्रों की संख्या	दिनांक 25 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना के अनुसार निषेध समय (31 जनवरी, 2017 तक)	संशोधित निषेध समय 01 फरवरी, 2017 से लागू
1.	2.	3.	4.	5.
1.	परिशिष्ट – 2	54	प्रातः 07:00 बजे से मध्य रात्रि 12:00 बजे तक ।	प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक ।
2.	परिशिष्ट – 3	29	प्रातः 07:00 बजे से 11:00 बजे तक तथा सायं 05:00 बजे से मध्य रात्रि 12:00 बजे तक ।	प्रातः 07:00 बजे से 11:00 बजे तक तथा सायं 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक ।

3.	परिशिष्ट - 4	121	प्रातः 07:00 बजे से 11:00 बजे तक तथा सायं 05:00 बजे से मध्य रात्रि 12:00 बजे तक ।	प्रातः 07:00 बजे से 11:00 बजे तक तथा सायं 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक ।
----	--------------	-----	---	--

यह अधिसूचना 01 फरवरी, 2017 की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विनय कुमार मोंगिया, उप सचिव

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st February, 2017

F. No. 19(96)/Tpt./Sectt./2010/19.—In exercise of the powers conferred by section 115 of the Motor Vehicles Act 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the interest of public safety and convenience of the general public of Delhi to regulate movement of heavy goods, medium goods and light goods vehicles on roads/areas of National Capital Territory of Delhi, do hereby amend the Notification F. No. 19(96)/Tpt./Sectt./2010/228 dated the 25th November, 2016 for the purpose of the prohibition timing of plying and idle parking of heavy goods, medium goods and light goods vehicles on the roads and areas against each category of vehicle as enlisted in the Schedule annexed with the notification F. No. Sece. 10(164)/Tpt/98/625 dated the 11th February, 2000 in the following manner:-

Sr. No.	Annexure Number of Notification dated 11 th February, 2000.	Number of roads/areas in the Annexure.	Prohibition timings as per the existing Notification dated 25 th November, 2016 (till 31 st January, 2017).	Amended Prohibition timings w.e.f 1 st February, 2017
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Annexure - 2	54	07:00 AM to 12:00 Mid-Night	07:00 AM to 11:00 PM
2.	Annexure - 3	29	07:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 12:00 Mid-Night	07:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 11:00 PM
3.	Annexure - 4	121	07:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 12:00 Mid-Night	07:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 11:00 PM

This notification shall come into effect from 1st February, 2017.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

V. K. MONGIA, Dy. Secy.